रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112026-277602
CG-DL-E-03112026-277602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5703] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 2026/कार्तिक 8, 1948
No. 5703] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2026/KARTIKA 8, 1948

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5935(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 6031(अ), तारीख 23 दिसंबर 2025, जो भारत के असाधारण राजपत्र, क्रमांक 5831 तारीख 26 दिसंबर 2025, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गुजरात राज्य में "कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना अनुभाग: पिपावाव से आई.एच.बी. लिमिटेड डुमाड" तालुका धोलका, जिला **अहमदावाद** में एल.पी.जी. के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 22 अप्रैल, 2026 से 28 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और श्री अवलाभाई खातराभाई बारीआ, सक्षम प्राधिकारी और सेवानिवृत नायब कलेक्टर, कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना, आई.एच.बी. लिमिटेड, वडोदरा (गुजरात) ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिर्पाट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतय: उत्तरदायी होगी और पाइपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील - धोलका जिला - अहमदावाद राज्य - गुजरात

मौजा / ग्राम	पुराना सर्वे / ब्लाक / सं. (प्लोट सं.)	नया सर्वे / ब्लाक / सं. (प्लोट सं.)	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
भोलाद	844/पै.1	442	00	16	73
मोटी बोरू	47/2	495	00	29	86
वारना	1205पै.	1568	00	01	19
	1106पै.	1545	00	20	88

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-आई-भाग (1)/ई-45901]

हरित कुमार शाक्या, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2026.

S.O. 5935(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Vide S.O. No. 6031(E) dated 23 December 2025, published in the Extra Ordinary Gazette of India No. 5831 dated 26th December 2025, issued under Sub-Section (1) of Section-3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying "Kandla -Gorakhpur LPG Pipeline Project, Section :- Pipavav to IHB Limited Dumad" for the transportation of LPG in Tehsil Dholka, District Ahmedabad in the State of Gujarat by IHB Limited;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the concerned land owners up to 22nd April, 2026 to 28th April, 2026;

And whereas, Shri Avalabhai Khatarabhai Baria, Competent Authority and Deputy Collector (Retd.), Kandla - Gorakhpur LPG Pipeline Project, IHB Limited, Vadodara (Gujarat) has under Sub-Section-(1) of Section-6 of said Act, has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section-(1) of Section-6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section-(4) of Section-6 of the said Act, the Central Government hereby directs that Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration, in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section-10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

Schedule

Tehsil - Dholka District:- Ahmedabad State :- Gujarat

Mouja / Village	Old Survey/Block No.	New Survey/Block No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Bholad	844/P1	442	00	16	73
Moti Boru	47/2	495	00	29	86
Varna	1205P	1568	00	01	19
	1106P	1545	00	20	88

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-I-Part (1)/E-45901]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.11.03 16:25:41 +05'30'